संख्या–1084 / II–2013–03(05) / 2012, टी०सी०

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग　　　　देहरादून : दिनांक 28 मार्च, 2013

विषय : वित्तीय वर्ष 2012–13 में अधिष्ठान व्यय हेतु अवचनबद्ध मदों में धनावंटन–आयोजनेत्तर।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग के पत्रांक 1339 / मु०अ०वि० / वि०नि० / सी–2डी अधि०, दिनांक 22.03.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में आयोजनेत्तर पक्ष के अधिष्ठान मद के 2700–मुख्य सिंचाई के अन्तर्गत 03–निदेशन के 27–चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय मद में अवशेष धनराशि ₹ 3.00 लाख (₹ तीन लाख मात्र) की धनराशि वर्णित अनुदान / लेखाशीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्यता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

(ii) उक्त स्वीकृति के अधीन आहरण एवं व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 सुसंगत प्राविधानों, वित्तीय नियमों एवं मितव्ययता सम्बन्धी समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(iii) स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाये। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(iv) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रतिमाह व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर वित्त विभाग, महालेखाकार एवं शासन को ससमय उपलब्ध करायी जाय।

(v) किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 (लेखानियम आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(vi) धनराशि का आहरण / व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर किस्तों में किया जाय।

(vii) **वित्त विभाग के शासनादेश सं०–321 / XXVII(1) / 2012, दि०–19.06.2012 के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और यथाआवश्यकता सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।**

(viii) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–20 के लेखाशीर्षक 2700–मुख्य सिंचाई 00–आयोजनेत्तर 001–निदेशन तथा प्रशासन 03–निदेशन–27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के नामे डाला जायेगा।

2. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के शासनादेश सं०–321 / XXVII(1) / 2012, दि०–19.06.2012 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
सचिव।

क्रमशः / 2

संख्या–1084(1)/ II–2013–03(05)/2012, टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निजी सचिव–सिंचाई मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–2), उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।